JALAUN POLICE

दिनांक – 14.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना आटा द्वारा रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना ग्राम चमारी के पास से अभियुक्त जगभान केवट पुत्र सन्देश्वरी केवट निवासी ग्राम बिरेहटा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को चोरी के 04 अद्द ट्रेक्टर व 01 अद्द मोटर साइकिल के साथ बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 26.06.2020 को थाना आटा पर मु0अ0सं0 100/2020 (वाद संख्या 72/2020) धारा 413/414/420/467/468 भादवि बनाम जगभान केवट पुत्र सन्देश्वरी केवट निवासी ग्राम बिरेहटा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 18.05.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 14.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जगभान केवट उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कारावास एवं 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।